संख्या-1613/15-8-2022-3003(18)/2016

प्रेषक,

एस0पी0सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0 लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 : लखनऊ : दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsourcing of Man Power) की आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सामान्य(1)तृतीय/7089/2022-23 दिनांक 05.09.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Man Power) की आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने की व्यवस्था के संबंध में आख्या/सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता के दृष्टिगत **मैन पॉवर आउटसोर्सिंग** हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित जेम(GeM) पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता (एजेन्सी) का **मण्डलवार आबद्धीकरण** निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) संस्था/फर्म का एम0एस0एम0ई प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
(2) संस्था/फर्म का आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
(3) सस्था/फर्म का ई0पी0एफ (एम्पलॉई प्रोविडेंट फन्ड) प्रमाण-पत्र अपलोड होना आवश्यक है।
(4) संस्था/फर्म का ई0एस0आई0 (एम्पलॉई स्टेट इन्श्योरेंस) प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
(5) संस्था/फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में होना आवश्यक है।
(6) संस्था/फर्म का श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
(7) संस्था/फर्म का पैन कार्ड होना आवश्यक है।
(8) फर्म का पंजीकरण कार्यालय उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य है।

सेवा प्रदाता हेतु अर्हता-

(i) विभिन्न सेवाओं के लिये सेवा प्रदाता की अर्हताएं जेम पोर्टल पर पूर्व से निर्धारित है।

उदाहरणः- यदि बिड की अनुमानित लागत 1 करोड है तो केता विभाग न्यूनतम धनराशि रू0 50 हजार एवं अधिकतम रू0 5 लाख EMD/FDR के रूप में मांग कर सकता है।

उक्त के क्रम में निम्नवत व्यवस्था की जाती है:–

क्र0	निविदा मूल्य	ई0एम0डी0/एफ0डी0आर0 धनराशि
1.	5 लाख से 1 करोड रूपये तक	0.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के मध्य क्रेता विभाग स्वविवेक से निर्णय लेगा।
2.	1 करोड रूपये से अधिक	5 प्रतिशत

(ii) जेम पोर्टल पर 5 लाख से अधिक धनराशि की बिड पर L-1 निविदा लागत राशि की 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की बैंक गारंटी/FDR लिये जाने का प्राविधान है। उदाहरण –L-1 सेवा प्रदाता के चयन के उपरान्त, यदि L-1 रू0 90 लाख आता है तो न्यूनतम रूव0–1,80,000 अर्थात 2 प्रतिशत व अधिकतम 9 लाख अर्थात 10 प्रतिशत की बैंक गारंटी/ FDR की मांग कर सकता है।

उक्त के क्रम में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:–

क्र0सं0	निविदा मूल्य (रूपयें में)	बैंक गारंटी/ FDR
1.	1 करोड से कम मूल्य की निविदा	2 प्रतिशत
2.	1 करोड से 3 करोड के मध्य मूल की निविदा	5 प्रतिशत
3.	3 करोड से अधिक मूल्य की निविदा	10 प्रतिशत

(1) सेवा प्रदाता संस्था/फर्म का पंजीकरण विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीन वर्ष पुराना होना अनिवार्य है। (संस्था फर्म द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 03 वर्षों में किसी भी सरकारी संस्थान/विभाग में कार्य किया हो, से सम्बन्धित साक्ष्य अनिवार्य है)

(2) विगत् 03 वर्षों में संस्था/फर्म का टर्न ओवर निविदा की लागत मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत या उससे अधिक का होना चाहिये। विगत तीन वर्षों की आई0टी0आर0 व पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य है।

(3) सेवा प्रदाता/फर्म/कम्पनी के पास विगत् तीन वर्षों में किसी भी सरकारी संस्था/विभाग में समान श्रेणी के कार्मिकों की आपूर्ति के कार्य का अनुभव तथा उस प्रकार के कार्य करने का अनुमानित कार्य लागत का 80 प्रतिशत का एक कार्यादेश अथवा 50 प्रतिशत के 02 अथवा 40 प्रतिशत के 03 कार्यादेश होना अनिवार्य है, जिनकी प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(4) सेवा प्रदाता/फर्म को किसी भी विभाग से काली सूची में न डाला गया हो, का शपथ पत्र दस रूपये के नोटरी युक्त स्टाम्प पेपर पर अनिवार्य है।

(5) सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम 4.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा।

(6) सेवा प्रदाता का पंजीकृत कार्यालय जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र के आधार पर "उत्तर प्रदेश" में स्थापित होना अनिवार्य है। जेम पोर्टल पर एल–1 में प्राप्त संस्था/फर्म का जनपद मुख्यालय के श्रम विभाग का पंजीकरण व जनपद स्तर पर कार्यालय संचालित होगा, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इसका प्रमाण–पत्र अनिवार्य है।

(7) संस्था/फर्म के Toll Free/Helpline No. की उपलब्धता अनिवार्य है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की दशा में तत्काल सम्पर्क किया जा सके।

(8) सेवा प्रदाता/फर्म के चयन के पश्चात् चयनित फर्म को कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से वांछित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

(9) सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

(10) सेवा प्रदाता द्वारा मैनपावर (Outsourcing of Man Power) तैनाती के लिये सेवा योजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से अभ्यर्थियों को वरिष्ठता क्रम के अन्तर्गत चयन किये जाने हेतु एक कार्मिक के लिये पोर्टल से 05 आवेदनकर्ताओं तथा 02 या 02 से अधिक कार्मिकों की मांग पर 03 गुना परन्तु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता का मूल्यांकन करते हुये चयन की कार्यवाही की जायेगी, जिसमें क्रेता की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(11) सेवा प्रदाता द्वारा ई०पी०एफ0, ई0एस0आई0 व जी0एस0टी0 आदि की कटौती Service Level Agreement (SLA) के अनुसार की जायेगी, क्रेता विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(12) नियत मानदेय पर सर्विस चार्ज जोड़कर नियमानुसार टी0डी0एस0 कटौती की जायेगी।

(13) आउटसोर्सिंग कार्मिकों को समय से एवं पूर्ण भुगतान करने के एवज में यदि कार्मिकों से वसूली की शिकायत प्राप्त होती है, तो सेवा प्रदाता के विरूद्ध डिलिस्टिंग की कार्यवाही क्रेता विभाग द्वारा की जायेगी।

(14) क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को धनराशि भुगतान होने के 03 कार्यदिवस में कार्मिकों को धनराशि भुगतान करना होगा। सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व प्रति कार्मिक रूपये 100/– प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

(15) आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वयमेव बदल नहीं सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात् ही चयनित/कार्यरत कार्मिक को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा।

(16) चयनित संस्था/फर्म को उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मानदेय के साथ शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार सेवा शुल्क तथा कर आदि का भुगतान अलग से जोड़कर किया जायेगा।

(17) चयनित संस्था/फर्म के द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार संविदा अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है। संतोषजनक सेवा होने पर संस्था/फर्म के अनुबंध का नवीनीकरण आगामी वर्ष हेतु किया जा सकता है।

(18) चयनित अभ्यर्थी कुशलता के मापदण्ड पर असमर्थ होता है तो उसे 01 माह का अग्रिम नोटिस देकर कार्य से विमुक्त किया जा सकता है। सेवा प्रदाता एजेन्सी को प्रतिकूल टिप्पणी के 01 माह के अन्दर दूसरे अभ्यर्थी को चयनित कर भेजना होगा।

(19) चयन के उपरांत एल–1 सेवा प्रदाता वाली फर्म को अपने समस्त मूल अभिलेखों को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

(20) फर्म के चयन व निरस्त सम्बन्धी किसी विवाद का निस्तारण मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा किया जायेगा, जिसकी अपील अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) के समक्ष की जा सकेगी। अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

(21) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsourcing of Man Power) को आउटसोर्सिंग से कराये जाने एवं सेवा प्रदाता संस्था का चयन किए जाने हेतु मण्डल स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जायः–

क–	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	अध्यक्ष
ख–	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा0)	सदस्य
ग–	संबंधित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य/सचिव
घ–	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय स0शि0नि0(मा0)	सदस्य
ड–	मण्डलायुक्त द्वारा नामित कोई अधिकारी	सदस्य

(22) सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग से मैन पॉवर रखने के लिए एक पृथक से लेखा–शीर्षक की व्यवस्था की गयी है। उक्त लेखा शीर्षक से ही सेवाप्रदाता का भुगतान सम्बन्धित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsourcing of Man Power) को आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने हेतु शैक्षिक अर्हताएं एवं वेतन निम्नवत् होगे :–

<u>आउटसोर्स पर्सन की शैक्षिक योग्यताएं</u>

1–	शैक्षिक योग्यता–	इण्टरमीडिएट
2–	आयु–	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष

नोट– अभ्यर्थियों का चयन नामित फर्म/संस्था द्वारा सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

<u>आउटसोर्स पर्सन को देय मानदेय/वेतन</u>

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या 194/36–3–2014–07(न्यू0वे0)/04 दिनांक 26.1.2014 तथा अधिसूचना संख्या 850/36–03–2019–931(न्यू0वे0)/06 दिनांक 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। उक्त के दृष्टिगत रूपये 5750/– प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कार्मिकों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–241 पर दिनांक 01.4.2022 से दिनांक 30.9.2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा–

1– अकुशल कर्मचारी– 9530/– प्रतिमाह

उक्त वेतन भुगतान के अनुसार ESI व EPF सहित कार्यालय द्वारा 1 अकुशल कर्मचारी को दिये जाने वाला भुगतान का विवरण निम्नवत् होगाः–

क्र0सं0	मैन पावर का विवरण	इकाई	प्रतिमाह कार्मिक को भुगतान की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
क–	मैन पावर का विवरण		
1	मैनपावर (अकुशल)	1	9530
ख–	अन्य विवरण		
1	ई0पी0एफ0 'क' का 13 प्रतिशत		1238.9
2	ई0एस0आई0 'क' का 3.25 प्रतिशत		309.73
		योग(1+2)	1548.63
ग–		योग क+ख	11078.63
घ–	ग का जीएसटी 18 प्रतिशत		1994.15
		कुल योग	13072.78

उपर्युक्त विवरण के अनुसार 1 मैनपावर (आउटसोर्सिंग) हेतु प्रतिमाह लगभग धनराशि रूपया 13072.78 (रूपये–तेरह हजार, बहत्तर, पैसे अठत्तर मात्र) का व्यय आयेगा, जिसमें जेम पोर्टल से चयनित फर्म को देय सर्विस चार्ज विभाग द्वारा पृथक से देय होगा।

3– जेम (GeM) पोर्टल से चयनित फर्म द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कार्मिक विभाग एवं श्रम विभाग के निम्नलिखित शासनादेशों में विहित प्राविधानों तथा समय–समय पर निर्गत होने वाले निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश सं0–11/2017/523/18–2–2017–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 एवं शासनादेश सं0–31/2020/ 273/18–2–2020–97(ल0उ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 25.08.2020 (यथा संशोधित), तत्क्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0–8/2019/20/1/91का–2/2019 दिनांक 18.12.2019 एवं शासनादेश सं0–5/2020/20/1/91 का–2/2020 दिनांक 25.06.2020 (यथा संशोधित) तथा श्रम विभाग के शासनादेश सं0–717/36–5–2020–8 (26)/2020 दिनांक 18.08.2020 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 25.06.2020

उपरोक्तानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsourcing of Man Power) की आवश्यकता के दृष्टिगत उन्हें आउटसोर्सिंग से कराये जाने के संबंध मे तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
विशेष सचिव।